जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/54 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 27 मार्च 2021

जे.डी.ए. के ज़ोन 9 के प्रवर्तन अधिकारी श्री नवनीत व्यास की मिलीभगत हुई उजागर!!

भाग-2

अवैध निर्माण की शिकायत को परीक्षण हेतु ज़ोन कार्यालय में भेजने की बजाय खुद ने दी क्लीन चिट!!!

क्या यह मामला भ्रष्टाचार का नहीं है?

मिशन मास्टर प्लान

जे.डी.ए. ज़ोन 9 में स्थित भूखंड संख्या BC-8F(802 वर्ग मीटर) , सेंट्रल स्पाइन योजना,महल रोड,जगतपुरा जयपुर पर बिना सेटबैक छोड़े,बिना पार्किंग सुविधाओं के,बिना नक़्शे पास करवाए बन रहा बेसमेंट सहित 6 मंजिला अवैध काम्प्लेक्स|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

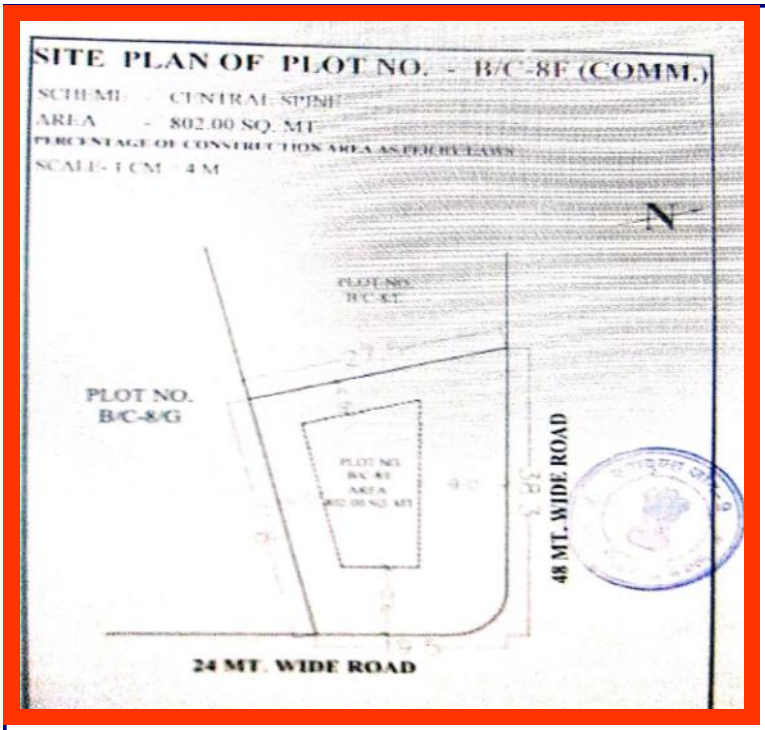

क्या है भूखंड संख्या BC-8F (802 वर्ग मीटर) , सेंट्रल स्पाइन योजना,महल रोड,जगतपुरा जयपुर का पूरा मामला?

सेंट्रल स्पाईन योजना जगतपुरा में स्थित भूखंड संख्या BC-8F (802 वर्ग मीटर) , सेंट्रल स्पाइन योजना,महल रोड,जगतपुरा पर भूखंड मालिक द्वारा बेसमेंट सहित 6 मंजिला बनायीं जा रही थी,इस अवैध बिल्डिंग की पूर्व में शिकायते हुई थी जिसके चलते तत्कालीन ज़ोन उपायुक्त अबू सुफियान द्वारा मौका मुआयना कर इसका काम रुकवा दिया गया था,जानकारों के अनुसार इसे नोटिस भी जारी किये गए थे|लेकिन उसके बावजूद भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग का काम बदस्तूर जारी रखा|इस मामले की जानकारी होने पर हमारे द्वारा यह मामला जे.डी.ए. के संज्ञान में लाया गया जिसके चलते 26/03/2021 को ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी श्री नवनीत व्यास द्वारा जवाब दिया गया कि भूखंड संख्या BC-8F (802 मीटर)सेन्ट्रल स्पाईन योजना,महल रोड जगतपुरा जयपुर पर किया गया निर्माण जे.डी.ए. द्वारा व्यवसायिक पट्टा एवं जे.डी.ए. से जारी मानचित्र अनुसार निर्माण किया गया है,भूखंड पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया है|

Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (Zone-II) , Enforcement Officer - 9	, , ,	Remarks	26-Mar-2021	भूखंड संख्या BC-8F(802 वर्ग मीटर),सेंट्रल स्पाइन योजना,महल रोड,जगतपुरा जयपुर पर किया गया निर्माण जविप्रा द्वारा व्यवसाइक पटा एवं जविप्रा से जारी मानचित्र अनुसार निर्माण किया गया हे, भूखंड पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया हे
Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (Zone-II) , Enforcement Officer - 9	, , ,	Partially Closed :Relief	26-Mar-2021	भूखंड संख्या BC-8F(802 वर्ग मीटर),सेंट्रल स्पाइन योजना,महल रोड,जगतपुरा जयपुर पर किया गया निर्माण जविप्रा द्वारा व्यवसाइक पटा एवं जविप्रा से जारी मानचित्र अनुसार निर्माण किया गया हे, भूखंड पर कोई अवैध निर्माण नहीं किया गया हे

ज़ोन कार्यालय में भेजने की बजाय खुद ने दी क्लीन चिट|

आपको बता दें कि जे.डी.ए. के नियमों के अनुसार यदि किसी व्यवसायिक भूखंड के अवैध निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होती है तो उसे परिक्षण के लिए ज़ोन कार्यालय में भेजा जाना होता है |ज़ोन कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों और मौका निरिक्षण के अनुसार ज़ोन का JEN और ATP अवैध निर्माण की वोयलेशन रिपोर्ट तैयार करता है और अग्रीम कार्यवाही(सील/ध्वस्त) हेतु वोयलेशन रिपोर्ट प्रवर्तन विभाग में भेज दी जाती है|

ना BPC ना नक़्शे पास,फिर भी बन गयी 6 मंजिला अवैध बिल्डिंग|

आपको बता दें की 500 गज से अधिक के आवासीय भूखंड पर निर्माण हेतु जे.डी.ए. से अनुमोदित नक़्शे पास करवाने जरुरी होता है अन्यथा बिल्डिंग को अवैध करार दिया जाता है|जबकि व्यवसायिक भूखंडों पर तो एक दूकान बनाने के लिए भी नक़्शे पास करवाने पड़ते है जबकि यह तो 802 वर्ग मीटर का भूखंड है|BPC द्वारा किसी व्यवसायिक भूखंड के नक़्शे तभी पास किये जाते है जब भूखंड मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार निर्धारित सेटबैक और ऊँचाई एवं निर्धारित पार्किंग और अग्निशमन मानकों के अनुसार नक़्शे प्रस्तुत किये जाते है|

ज़ोन कार्यालय के अनुसार नीचे दूकान उपर मकान बनाने की अनुमति ,बिल्डिंग की ऊँचाई 18 मीटर स्वीकृत

जब इस मामले मे ज़ोन में बात करने पर बताया गया कि यह भूखंड व्यवसायिक है और मिश्रित भू-उपयोग हेतु अनुमोदित है,जिसके अनुसार इस काम्प्लेक्स में नीचे दुकाने,ऑफिस,शोरूम बनाये जाने है और उतर के तलों पर आवासीय यूनिट बनायीं जानी है|जब इस बात की पुष्टि की गयीकि क्या भूखंड मालिक द्वारा भूखंड के अनुमोदित नक़्शे उपलब्ध करवाए गए है तो अवैध निर्माणकर्ता द्वारा ऐसे कोई नक़्शे उपलब्ध नहीं करवाने का हवाला दिया गया| (जैसा कि ज़ोन के बाबु द्वारा बताया गया)

जे.डी.ए. के ज़ोन-9 के प्रवर्तन अधिकारी श्री नवनीत व्यास का उसूल!!!

ना तारीख ना सुनवाई!!!

सीधा इन्साफ वो भी ताबड़तोड़!!!

नवनीत व्यास रहे है विवादों में

आपको बता दें कि नवनीत व्यास भीलवाडा में CI रहते हुए अफीम मामले में विवादों में रहे है जिसके चलते उनके खिलाफ विभागीय जांच भी हुई थी और उनके विरुद्ध विभागीयकार्यवाही की अनुशंसा की गयी है|

बहरहाल यह मामला सामने आने के बाद CI और ज़ोन के प्रवर्तन अधिकारी नवनीत व्यास की कार्यप्रणाली पुनः संदेह के घेरे में आ गयी है|जिसकी जांच होनी आवश्यक है|

JAWAB DO SARKAR ™

...Newsletter, Issued in Public Interest — शुक्रवार, 4 दिसम्बर 2020

सुभाष नगर,भीलवाड़ा के तत्कालीन थाना प्रभारी श्री नवनीत व्यास के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप सही है या फिर गलत??

प्रदेश में खाकी को दागदार करने वाला...

पकड़ी दो किलो अफीम, नौ लाख हवाला से लेकर छोड़ा आरोपी

छोड़े गए व्यक्ति ने की डीजीपी और आइजी को शिकायत

डीजीपी के आदेश पर विजिलेंस ने शुरू की जांच

रुपए लेने का आरोप — एसआई-एएसआई समेत तीन पुलिसकर्मी निलंबित

भाग-1

बेल्ट खोलकर पीटा, शुरू हुई सौदेबाजी

व्यास का जयपुर हो चुका तबादला

लोकेशन-सीसीटीवी जांच के आधार

राजस्थान पत्रिका में दिनांक 19/08/2020 को प्रकाशित खबर से साभार|

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151 — पेज 1

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर क्या है भूखंड संख्या BC-8F,सेन्ट्रल स्पाईन जगतपुरा का सच?किस रसूखदार का है यह अवैध काम्प्लेक्स?
2. इस भूखंड पर हो रहे अवैध निर्माणों के सन्दर्भ में,पूर्व में की गयी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी थी?क्या उस समय भी इस अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस जारी किये गए थे या नहीं?
3. यदि इस भूखंड के व्यवसायिक नक़्शे पास है तो BPC की किस मीटिंग में इसके नक़्शे स्वीकृत किये गए है?
4. यदि मान भी लिया जाये कि इस भवन के नक़्शे पास है,तो क्या प्रवर्तन अधिकारी इस बात की गारंटी ले रहे है कि वर्तमान में हो रहा सम्पूर्ण निर्माण नक्शों के अनुरूप है?
5. क्या आज दिन तक इस अवैध निर्माण की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई या फिर जानबूझकर उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी?
6. आखिर प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस शिकायत को वोयलेशन रिपोर्ट हेतु ज़ोन कार्यालय में क्यों नहीं भेजा?क्या जे.डी.ए. द्वारा श्री नवनीत व्यास को ATP और JEN का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है?
7. इस मामले में क्या जे.डी.ए. एक्ट की धारा 72 की उपधारा 14 के तहत अवैध निर्माणों पर कार्यवाही के मामले में लापरवाही बरतने के लिए वर्तमान प्रवर्तन अधिकारी श्री नवनीत व्यास के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?
8. आखिर कब सील/ध्वस्त किया जाएगा यह अवैध निर्माण?

अवैध निर्माण/अतिक्रमण पर सख्त कार्यवाही

भवन निर्माण उपविधि के प्रावधानों का पालन करें

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस.एल.पी. सं. 16668/2008 नगर निगम जयपुर बनाम लेखराज सोनी में दि. 30 अगस्त, 2011 को पारित आदेशों के तहत एम्पावर्ड कमेटी का गठन हुआ एवं निर्देश दिये गये हैं कि माननीय न्यायालय द्वारा गठित एम्पावर्ड कमेटी के आदेशों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश माना जावे एवं उल्लंघन पर अवमानना की कार्यवाही की जावे।

पूर्व में विभाग द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन दिनांक 18.11.11 व 30.11.11 को जारी किया जाकर भवन निर्माण उपविधि एवं मास्टर प्लान के उल्लंघन के सम्बन्ध में दण्डात्मक कार्यवाही करने व उन्हें तोड़े जाने की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया गया था। इसकी निरन्तरता में पुनः सूचित किया जाता है कि :-

- भवन निर्माण हेतु नक्शा स्वीकृत कराया जाकर ही निर्माण/पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार कराया जाये तथा भवन निर्माण उपविधि के प्रावधानों की पूर्णतया पालना की जावे। बिना निर्माण स्वीकृति अथवा जारी स्वीकृति के विरुद्ध में निर्माण किये जाने या मास्टर प्लान में उल्लेखित भू-उपयोग परिवर्तन अथवा सम्बन्धित भूमि के अनुमत भू-उपयोग के विरुद्ध निर्माण किये जाने पर ऐसी सम्पत्तियों को जब्ती अथवा तोड़ने की कार्यवाही सम्बन्धित के खर्चे पर की जायेगी तथा नगर पालिका अधिनियम की धारा 194 के अन्तर्गत सम्बन्धित को दण्डित किये जाने हेतु अभियोजन किया जायेगा।
- राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 245 के अन्तर्गत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण दण्डनीय अपराध है। अतिक्रमण किये जाने पर ऐसे अतिक्रमणी का अभियोजन कर दण्डित करने एवं ऐसे निर्माण को निर्माता के खर्चे पर ध्वस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

अवैध निर्माण/अतिक्रमण को रोके जाने में कर्तव्यहीनता एवं मिलीभगत पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी एवं अवैध निर्माणकर्ता तथा अतिक्रमी के विरुद्ध उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत आपराधिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

अतः सूचित किया जाता है कि अवैध निर्माण एवं राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जाये। ऐसे प्रकरणों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी

जे.डी.ए. एक्ट की धारा 72 की उपधारा 14 के तहत अवैध निर्माणों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ एक साल की सजा का प्रावधान

जे.डी.ए. एक्ट की धारा 72 की उपधारा 14 के तहत अवैध निर्माणों में जानबूझ कर,टालने के उद्देश्य से,लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी के खिलाफ एक साल की सजा या पांच हजार के जुर्माने का प्रावधान है,अब देखना यह है कि इस दूकान पर कार्यवाही में लापरवाही बरतने का जिम्मेदार कौन है?

(14) Whoever, being an employee of the Authority, specifically entrusted with duty to stop or prevent the encroachment or obstruction punishable under this section, wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such encroachment or obstruction, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to [one year or with fine which may extend to five thousand rupees] or with both.

Scanned with